कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र., भोपाल


पंजा क्यांक . 97 1 रा । १२०१ प । २०१६

विषय :-न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यूपी क्र 294/65 (एस) ड्राइमाल डिमार पटल पिता रूप सी राज्यारी प्रयाद पटल सहायत पाहणायत नार्वाणम द्वा अहाति कोत्रका विकद्ध मा ज शासन एवं अन्य Process Id: 15005 /2016 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकं / प्राचार्य क्षेत्र को क्रा से प्राप्त न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी 294/2016 🗡 15 (एस) की याविका प्राप्त हुई है। प्राप्त याचिका का संबंध उत्युक्ता कियुक्ति के चिर्मानुसार्प्रतिवादी कुमांड ०५ की विश्व अरते हेत कार्रमार्थ (क्या मार्गाट महाराज्य भागार्थ (क्या क्रिक्स करते हेत कार्रमार्थ (प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना हैं, कृपया अनुनोदन करना चाहें साथ है। यदि मान्य हो तो प्रमारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की रवच्छ प्रतियां पर हरताहर करना Ym री अधिकारी क्रियुक्ति आयुक्त / समिव महोदय वि.क.अ. न्या.प्रकोष्त) 05/03/16

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षां, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमाव 290 /शा. विशा क /१०/६

	2.14010
विषय:— -यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू पी. क्र २९५ १६ (एस) डिअइएस ९५ भार प्रदेश विरुद्ध अ. ५. २१ भारत एवं डब्ल्य	
00	
सचिव मध्यप्रदेश शासन उ.शि. विभाग के आदेश क्रमांक 490-491	
दिनांक 9/3/16 में अतिरिक्त संचालक / प्राचार्य 2110 मार्ने 5 महा-	
विधालप , धेनिका किया जा चुका है। कृपया प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती विधि विभाग की ओर	
अंकित करना वाहें।	
अग्रुक्त सिंद्य महोदय के भी नार्ग के कि	
ale - 1000 2 216 10 10101	Sole
आयुक्त सच्चित महोदय के (ना) को ती वि.क्र.अ.	1013 N
10/02	101
विभाग एमाकान्त उमराव R.No	
सचिव/आयुक्त	116
C. T.	
141	7".
स्रोतरकार अगवेश मारी कर स्रोत कर	10
पर रखी है। कावश मार्टी कर स्रोत मस्ती प्र	
(20)	1
उगास्त्र उन्हार् कि कि विश्व कि	
Later Land	
	0
	1



Process Id: 15005/2016

WP/294/2016

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur FOR - ADMISSION Fixed for 08-03-2016 WP-DA-19 Respondent No. 3

To,

Special Duty Officer Higher Education Department, Satpuda Bhawan5 Rd Manzil Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 28-01-2016

Notice to Respondent No. 3 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 294/ 2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Ashish Kumar Patel** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/294/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **08-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seaf of the Court) Hncl: Copy of Petition

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

मध्य रदेश शासन उच्च शिक्षा विमाग

490/20 18/16 18/16 18/16 16 9/16/19 9 8 16 सिविल प्रकिया संहेता 1990 (1908 का अधिकतम् संख्या—5) के आदेश सत्ताईस नियन् । तथा —1 अधीन शक्तियां का प्रयोग करते हुए <u>प्राचाया ज्ञासकीय कारास्त्रास्त्रा भारतिक अस्ति</u> स्वास्त्रा

कातका जिला अनुप्युर को या चेका कमांक WP 994 2016

(पसकारों के नाम) द्वार पटेल करें किया र व स्ती वृद्ध वस्ता प्रसार पटेल सहा पा

वामांदश कामदीय महाविद्याराय कोतमा तिमा उत्पूष्ण र (म-६) विरुद्ध म ७ शासन रेव रू के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके और सं प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर इस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरसायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति। तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं,

1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की आवश्यकता हो, और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अनिमाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैय र करेगा । यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रि गेर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

- समरत सुर गत फाइलें, दस्तायंज, नि ाम अधिपूचमा तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- उक्त रिपो तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से तम्पर्क करेगा ।
- शासकीय विवक्ता की सहायता से लिखित / कथन उत्तर तैयार करवाएगा ।
- महत्वपूर्ण / नीतिगत प्रकरणां में जैयार किये गये लिखित / कथन या उत्तर विभागीय / प्रशासकं य अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-

वाद / पत्र हो एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका ।

प्रस्तावित निखित कथन का प्रारूप।

उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

मामले विश्दीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

मामले की तैयारों और संचालन में शासकीय अधियक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रकन और सबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा

जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य-के विरुद्ध पारित किया जाता है। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा ।

अवनी रिपोर्! के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवार्श करने के लिये इस विभाग को भेजेगा

- 97 . यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने ,रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त ं करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हों ।
 - 10 / जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, यह अई शासकीय पत्र के भाष्यम से सल्काल जानकारी देगा । यह वर्तमान पद भार देने के पश्यात् मी तब तक प्रभारी अधियारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।
 - 11 / प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव भद्द /सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावंज अप्रकटित नहीं रह जावे ।
 - महत्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा ।
 - 13./ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव, को पक्षकार बनाया गया है, ऐर मामलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेत् न्यायालय के समक्ष शीपाति हिंच आवेदन धायर कर विलोगित करवायें ।

मध्यप्रदेग के राज्यपाल के नाभ र तथा आदेशान्सार

निध्यप्रदेश शासन, उच्च निधा थि । ग मंद्रालय, मोपाल भोपाल, दिनांक १ 3 1 6 वृतक 491 /- अशिवि / नेपालव / न्याप्र ///6

1/ महाविययका, उच्च न्यायालय मात्रार जयलपुर/इन्दौर/ग्वालियस जीमान मात्र. की ओर ।

प्रमुख सबिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधार्थ कार्य दिभाग विद्याधन भवन भोपाल

संबंधित जिलाह्यह डिस्स्पूर 4/ अमार्थ आमहीत अहारात मायवट अहमवद्गालक काममा, दिन्छ। क्षेत्रवर (म.७) प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित । साध्य ही शासकीय अधिवक्ता से सन्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा आनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे का कार्यवाही के लिये सलाह करने और मागलें में अपनी प्रग ते रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव हा भेजना चाहिये वाद पन की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जायं, मामले की सु वाई की तारीख 08.03.2016 की सुनवाई हेतु नियत की गई थी / हैं।

5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक , उच्च शिक्षा का व्याप्य संभाक कापूर (म. ५) \

की और सूबनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु !

प्रतिसिधः--

मध्यप्रवेश शासन, एवं शिक्षानिवान ... मत्रालय, निपाल